छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 05, शक सम्वत् 1941)

[अंक 01]

Website Copy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. चरणदास महंत
उपाध्यक्ष	श्री मनोज सिंह मण्डावी
प्रमुख सचिव	श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े

सभापति तालिका

1. श्री सत्यनारायण शर्मा,
2. श्री धनेन्द्र साहू,
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह,
4. श्री शिवरतन शर्मा,
5. श्री देवव्रत सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीया राज्यपाल

सुश्री अनुसुईया उइके

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जन सम्पर्क, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)
03.	श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री	लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन
04.	श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री	संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट
05.	डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री	स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता
06.	श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री	परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य
07.	श्री कवासी लखमा, मंत्री	वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग
08.	डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम
09.	श्री अमरजीत भगत, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति
10.	श्रीमती अनिला भेंडिया, मंत्री	महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण
11.	श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)
12.	श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग
13.	श्री उमेश पटेल, मंत्री	उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण

अशुद्धित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
02.	अमरजीत भगत	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
03.	अरूण वोरा	64-दुर्ग शहर
04.	अजीत जोगी	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
05.	अनिता योगेंद्र शर्मा, श्रीमती	47-धरसींवा
06.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडी लोहारा (अ.ज.जा.)
07.	अंबिका सिंहदेव, श्रीमती	03-बैकुंठपुर
08.	अमितेश शुक्ल	54-राजिम
09.	अनूप नाग	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
10.	आशीष कुमार छाबड़ा	69-बेमेतरा

इ

01.	इंद्रशाह मण्डावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
02.	इंदू बंजारे, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उमेश पटेल	18-खरसिया

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कृष्णमूर्ति बांधी	32-मस्तूरी (अ.जा.)
03.	किस्मत लाल नंद	39-सरायपाली (अ.जा.)
04.	कुलदीप जुनेजा	50-रायपुर नगर उत्तर
05.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
06.	केशव प्रसाद चन्द्रा	37-जैजेपुर

अप्रशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ख

01	खेलसाय सिंह	04-प्रेमनगर

ग

01.	गुरू रूद्र कुमार	67-अहिवारा (अ.जा.)
02.	गुरूदयाल सिंह बंजारे	70-नवागढ़ (अ.जा.)
03.	गुलाब कमरो	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)

च

01.	चक्रधर सिंह सिदार	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
02.	चरणदास महंत	35-सक्ती
03.	चंदन कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)
04.	चंद्रदेव प्रसाद राय	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)
05.	चिन्तामणी महाराज	08-सामरी (अ.ज.जा.)

छ

01.	छन्नी चंदू साहू, श्रीमती	77-खुज्जी

ज

01.	जयसिंह अग्रवाल	21-कोरबा

ट

01.	टी.एस.सिंहदेव	10-अम्बिकापुर

ड

01.	डमरूधर पुजारी	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

त

01.	ताम्रध्वज साहू	63-दुर्ग ग्रामीण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

द

01.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव
02.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी
03.	देवती कर्मा	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)
04.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
05.	देवेंद्र बहादुर सिंह	40-बसना
06.	देवव्रत सिंह	73-खैरागढ़

ध

01.	धरमलाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धनेन्द्र साहू	53-अभनपुर
03.	धर्मजीत सिंह	26-लोरमी

न

01.	ननकीराम कंवर	20-रामपुर (अ.ज.जा.)
02.	नारायण चंदेल	34-जांजगीर-चांपा

प

01.	प्रकाश शक्राजीत नायक	16-रायगढ़
02.	प्रमोद कुमार शर्मा	45-बलौदाबाजार
03.	पारसनाथ राजवाड़े	05- भटगांव
04.	प्रीतम राम, डा.	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
06.	पुरूषोत्तम कंवर	22-कटघोरा
07.	प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बृजमोहन अग्रवाल	51-रायपुर नगर(दक्षिण)
02.	बृहस्पत सिंह	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)

भ

01.	भुनेश्वर शोभाराम बघेल	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

02.	भूपेश बघेल	62-पाटन

म

01.	ममता चंद्राकर, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	मनोज सिंह मण्डावी	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
03.	मोहन मरकाम	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	मोहित राम	23-पाली-तानाखार(अ.ज.जा.)
05.	मोहम्मद अकबर	72-कवर्धा

य

01.	यू.डी.मिंज	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

र

01.	रजनीश कुमार सिंह	31-बेलतरा
02.	रंजना डीपेंद्र साहू, श्रीमती	58-धमतरी
03.	राजमन वेंजाम	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
04.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
05.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
06.	रामपुकार सिंह ठाकुर	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)
07.	रविन्द्र चौबे	68-साजा
08.	रश्मि आशिष सिंह, श्रीमती	28-तखतपुर
09.	रेखचंद जैन	86-जगदलपुर
10.	रेणु अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती)	25-कोटा

ल

01.	लक्ष्मी ध्रुव, डॉ.	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	लखेश्वर बघेल	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
03.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

व

01.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

02.	विनय जायसवाल, डॉ.	02-मनेन्द्रगढ़
03.	विनय कुमार भगत	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
04.	विद्यारतन भसीन	66-वैशाली नगर
05.	विकास उपाध्याय	49-रायपुर नगर पश्चिम
06.	विनोद सेवन लाल चंद्राकर	42-महासमुन्द

श

01.	शकुन्तला साहू, सुश्री	44-कसडोल
02.	शिवरतन शर्मा	46-भाटापारा
03.	शिवकुमार डहरिया, डॉ.	52-आरंग (अ.जा.)
04.	शिशुपाल सोरी	81-कांकेर (अ.ज.जा.)
05.	शैलेश पाण्डे	30-बिलासपुर

स

01.	सत्यनारायण शर्मा	48-रायपुर ग्रामीण
02.	संतराम नेताम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)
03.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
04.	सौरभ सिंह	33-अकलतरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020

(फाल्गुन-5, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>राष्ट्रगीत/राज्यगीत</u>

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" तथा राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" की धुन बजाई गई)

समय :

11:03 बजे अध्यक्ष महोदय :- अब सदन माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा करेगा।

(माननीय राज्यपाल महोदया के आगमन की प्रतीक्षा की गई)

समय :

11:08 बजे **(माननीय राज्यपाल महोदया का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ)**

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई)

समय :

11:10 बजे **<u>राज्यपाल का अभिभाषण</u>**

माननीया राज्यपाल महोदया (सुश्री अनुसुइया उइके) :- माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य की पांचवीं विधानसभा के इस सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । आप लोगों ने छत्तीसगढ़ विधान सभा को आदर्श परंपराओं और अनुपम कार्यप्रणाली का गढ़ बनाया है इसके लिये मैं आप सभी को साधुवाद देती हूं । मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि नये वर्ष 2020 में भी आप लोग जनता के नुमाइंदे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी लगन और निष्ठा से करते हुए जनता के सपनों को पूरा करेंगे ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2. यह बड़े ही गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसकी शुरूआात 2 अक्टूबर, 2019 को विशेष सत्र के आयोजन के साथ हुई । देश में अपनी तरह की इस नई पहल से प्रदेश की छवि उज्जवल हुई । अपनी संस्कृति, धरोहर और विभूतियों के सम्मान की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मारक, भगवान राम वनगमन परिपथ के विकास की दिशा में कार्य शुरू करके बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है । (मेजों की थपथपाहट)

3. भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करने में आप लोगों का योगदान दर्ज होना निश्चय ही सौभाग्य का विषय है । (मेजों की थपथपाहट) मेरी सरकार ने त्वरित निर्णयों तथा विभिन्न कार्यों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े तबकों सहित सभी वर्गों में नई उम्मीद जगाई है ।

4. प्रदेश में नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता से संपन्न हुए तथा इससे निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिली । इस महती जिम्मेदारी को पूरा करने में सहयोगी अमले और मतदाताओं को बधाई प्रेषित करती हूं ।

5. एक साल पहले बस्तर के बहुत से आदिवासी परिवारों की जिंदगी आपराधिक प्रकरणों के कारण बेहद कष्ट में थी । मेरी सरकार ने इसके लिये जस्टिस ए.के.पटनायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसकी सिफारिश पर निर्दोष आदिवासियों को प्रकरण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो उनके लिये बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक राहत भी है ।

6. बस्तर में लोहण्डीगुड़ा, आदिवासियों को न्याय दिलाने का प्रतीक बन गया है । इससे जल-जंगल-जमीन पर उनके अधिकार को रेखांकित करने में मेरी सरकार सफल हुई है । प्रसन्नता का विषय है कि सरकार गठन के मात्र एक माह की अल्प अवधि में ही जमीन वापसी की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और यह संदेश भी प्रखरता के साथ गया कि मेरी सरकार आदर्श पुनर्वास कानून का पालन कराने के प्रति गंभीर है ।

7. मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति की वनों पर निर्भरता, वनों पर निर्भर आजीविका के विषयों को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के विभिन्न प्रावधानों का उचित पालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाने का निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट) इसके तहत् जहां एक तरफ पूर्व में निरस्त दावों की पुन: समीक्षा की जा रही है । वहीं सामुदायिक वन अधिकारों के तहत् बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को जमीन के अधिकार पत्र देने के लिए भी बड़े कदम उठाये जा रहे हैं । मेरी सरकार ने दशकों से उपेक्षित रहे बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र की विशेष चिंता की गई है और वहां के निवासियों को वन अधिकार पत्र देने की विशेष पहल की जा रही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

8. मेरी सरकार ने राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के जिम्मे किया है । इससे 11 हजार 185 गांवों में 7 हजार 887 वन प्रबंधन समितियों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 15 लाख और अनुसूचित जाति के 5 लाख सदस्य वन संरक्षण के साथ ही अधोसंरचना और आजीविका के अवसरों में विस्तार के भागीदार बने हैं । समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता का विकास किया जा रहा है।

9. मेरी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा की है (मेजो की थपथपाहट) । जिसके कारण विगत् वर्ष15 लाख से अधिक परिवारों को 602 करोड़ रूपए का भुगतान हुआ। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने विगत् 1 वर्ष में न्यूनतम् समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली लघु वनोपजों की संख्या 8 से बढ़ाकर 22 कर दी है । 1 हजार से अधिक हाट-बाज़ारों पर संग्रहण केन्द्र तथा वन-धन-विकास केन्द्र की स्थापना की गई है । 50 हजार आदिवासी महिलाओं को इन केन्द्रों से जोड़ा गया है ।

10. वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति सहायता राशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपए की गई है, वहीं दूसरी ओर कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, सरगुजा वन मंडलों के 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में "लेमरू एलीफेंट रिज़र्व" बनाने की दिशा में कार्यवाही प्रगति पर है (मेजों की थपथपाहट) । इस प्रकार मेरी सरकार वन- जन, वन्य पारितंत्र जैसे सभी पहलुओं पर कार्यरत है ।

11. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं देते हुए प्री-मैट्रिक छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों सहित आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति दर बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह कर दी है । मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भोजन सहायता की राशि बढ़ाकर 700 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है । 17 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू किये गये हैं ।

12. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेरी सरकार लगभग 15 हजार स्थायी शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती कर रही है । जिससे 7 हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकायें आदिवासी अंचलों की शालाओं को मिलेंगे ।

13. मेरी सरकार ने बस्तर व सरगुजा संभाग के साथ कोरबा जिले में अनुसूचित जनजाति युवाओं की बहुलता को देखते हुए जिला संवर्ग के तहत तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में भर्ती की अवधि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ा दी है । बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय लोगों की भर्ती में तेजी लाने के लिए "विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड" का गठन, कौशल उन्नयन और रोजगारपरक प्रशिक्षण के अनेक उपाय किये जा रहे हैं ।

14. मेरी सरकार ने प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में अनेक नये कदम उठाये हैं। बस्तर, सरगुजा तथा मध्य क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक आदिवासी विकास प्राधिकरण गठित किये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गये हैं और मुख्यमंत्री के स्थान पर स्थानीय विधायकों को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर पदस्थ किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

15. मेरी सरकार ने प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण के माध्यम से जनता के अधिक से अधिक निकट पहुंचने तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के कारगर कदम उठाए हैं, जिसके तहत प्रदेश के 28वें जिले के रूप में "गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही" 10 फरवरी, 2020 से अस्तित्व में आ गया है। (मेजों की थपथपाहट) त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का भी विस्तार किया गया है। दूर-दूर फैले गांवों का परिसीमन कर 704 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं, जिनमें से 496 नई पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में हैं। पेसा क्षेत्रों के लिए नियम बनाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

16. 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना' के अंतर्गत अब तक सृजित 685 लाख मानव दिवसों में से 287 लाख मानव दिवस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं।

17. मेरी सरकार ने सार्वभौम पी.डी.एस. के माध्यम से लगभग 65 लाख परिवारों को खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा दी है। 35 किलो चावल देने का वायदा निभाया है, जिसमें से अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा राशनकार्डों के माध्यम से लगभग 26 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर पर चावल देने का इंतजाम किया है।

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि राज्यपाल जो अभिभाषण दे रही हैं, उसे वे बहुत शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। बहुत-बहुत साधुवाद।

माननीय राज्यपाल महोदया :-

18. आदिवासी अंचलों में पोषण सुरक्षा के लिए मेरी सरकार ने विशेष इंतजाम किये हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को नि:शुल्क रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक दिया जा रहा है। अनुसूचित विकासखंडों एवं माड़ा क्षेत्र में लगभग 25 लाख परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपये प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है। बस्तर संभाग में महिलाओं एवं बच्चों में आयरन की कमी दूर करने के लिए जनवरी, 2020 से अंत्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को 2 किलो गुड़ 17 रूपये प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जा रहा है।

19. आदिवासी क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया, (मेजों की थपथपाहट) जिसमें 24 प्रदेशों, 6 अन्य देशों के 1800 कलाकारों ने सीधी भागीदारी निभायी। वहीं विभिन्न दलों के चयन के लिए ब्लॉक स्तर से शुरू हुई प्रतियोगिता में 15 हजार से अधिक आदिवासी कलाकार शामिल हुए।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

20. मेरी सरकार ने किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 2500 रूपये देने, अल्पकालीन ऋण माफी के साथ ही मक्के की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, उद्यानिकी फसलों का विस्तार करने जैसे अनेक किसान हितकारी कदम उठाये हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।

21. मेरी सरकार के काम-काज से किसानों का विश्वास सरकार तथा खेती-किसानी के प्रति मजबूत हुआ है। यही वजह है कि एक साल में ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदाय ने 4 हजार करोड़ रूपये के आगे निकलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

22. राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों में उत्पादित शक्कर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लिया जा रहा है। कवर्धा स्थित शक्कर कारखानें में इथेनॉल प्लाण्ट स्थापना की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) पण्डरिया और अम्बिकापुर के सहकारी शक्कर कारखानों में भी इथेनॉल प्लाण्ट लगाये जायेंगे। धान से इथेनॉल बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। (मेजों की थपथपाहट)

23. कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोड़ी में 136 करोड़ रूपये की लागत से मक्का प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है। सुकमा से लेकर सरगुजा तक प्रदेश में अनेक स्थानों पर फूड पार्क, कृषि तथा वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की दिशा में ठोस प्रगति की जा रही है।

24. मेरी सरकार की अभिनव पहल "नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी" से ग्रामीण संस्कृति के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को नई दिशा मिली है। (मेजों की थपथपाहट) जिसके अन्तर्गत 1,000 से अधिक जलाशयों के वैज्ञानिक ढंग से विकास के कदम उठाये जा रहे हैं। 4,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठानों का विकास किया जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक विकासखण्ड में एक 'माडल गौठान' बनाया जा रहा है। "घुरवा" कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 3 लाख 14 हजार मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण और उपयोग किया गया है। अब इस कार्यक्रम का समुचित विस्तार हो रहा है।

25. मेरी सरकार जल संसाधन विकास के सारे विकल्पों पर भी गंभीरता से कार्य कर रही है। समग्र और समन्वित प्रयासों के लिए जल संसाधन नीति तैयार की जा रही है। सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। वर्तमान में निर्मित योजनाओं से लगभग 13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई हो पाती है। इसे बढ़ाकर 5 वर्षों में दोगुना करने के लिए 55 सूक्ष्म सिंचाई, 2,292 लघु, 80 उद्वहन सिंचाई योजनाएं तथा 689 एनीकट, स्टापडेम का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

26. मेरी सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने और संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम तेजी से कर रही है। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम, 1993 में संशोधन करके उम्मीद्वारों की न्यूनतम योग्यता में कक्षा का मापदण्ड हटाकर साक्षर कर दिया है। इसी प्रकार चुनकर न आने की स्थिति में नि:शक्तजनों को नामांकित करने का प्रावधान किया है।

अप्रमाणित/पुनरावलोकन के लिए नहीं

27. ग्रामीण अधोसरंचना के विकास हेतु "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के अन्तर्गत 3 हजार 700 किलोमीटर से अधिक 355 सड़कों तथा 10 वृहद पुलों के निर्माण हेतु 2 हजार 210 करोड़ रूपये की लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त की गई है। इसे मिलाकर प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना से निर्मित सड़कों की लम्बाई 40 हजार 690 किलोमीटर हो जायेगी। स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ जैसी सभी योजनाओं में भी तेजी लाई जायेगी।

28. ग्रामीण अंचलों में घर पहुंच बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने के लिए 3 हजार 'बीसी सखी सेवा' शुरू करने का लक्ष्य है और 1 हजार ने काम शुरू कर दिया है। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 8 जिलों में एक वर्ष में 32 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। इस प्रकार बैंक शाखाओं और ए.टी.एम. को मिलाकर ऐसी सुविधा के 869 केन्द्र बन गए हैं।

29. मेरी सरकार ने ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख का उल्लेख करना चाहूंगी । मैनपाट में बंद पड़ा कालीन उत्पादन का कार्य फिर से शुरू किया गया । (मेजों की थपथपाहट) 175 करोड़ रूपए के हाथकरघा वस्त्रों की खरीदी सरकारी विभागों द्वारा की गई है ।

30. अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से बुनकरों, शिल्पकारों, कृषि-उद्यानिकी-वन उत्पादों से आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को देश और दुनिया के ग्राहकों से जोड़ा गया ।

31. मेरी सरकार ने गोठानों से लेकर छोटे कारखानों तक को ऐसे उत्पादों के लिए प्रेरित किया है जो अपनी माटी की महक और कलाकारी की चमक से बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं । मुझे विश्वास है कि महिलाओं, किसानों, वन-निवासियों को समूह गतिविधियों के लिए संगठित और प्रोत्साहित करने के बेहतर नतीजे आएंगे ।

32. प्रदेश में श्रमिकों का सम्मान-सुरक्षा और सुविधा का जीवन मुहैया कराने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं । औद्योगिक स्थापनाओं में सेवारत् कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है । असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु समग्र नीति का निर्माण किया जा रहा है । संगठित श्रमिकों तथा निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु नये कदम उठाए जा रहे हैं । इसके अलावा दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों को वार्षिक नवीनीकरण से छूट दी गई है । 10 से कम श्रमिक वाले संस्थानों, संविदा श्रम अधिनियम में नवीनीकरण की छूट जैसी अनेक रियायतों से राहत का दायरा बढ़ा है ।

33. मेरी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहु-आयामी प्रयासों पर बल दिया है, जिसके तहत प्रदेश में 10 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना, 54 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास हेतु आर्थिक सहायता दी गई है, वहीं दूसरी ओर सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के लगभग 1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हजार 500 पदों पर भर्ती की जा रही है । 34 सरकारी कालेजों में लगभग 4 हजार तथा 56 अशासकीय कॉलेजों में 6 हजार सीटें बढ़ायी गई हैं। हर जिले में कन्या छात्रावास की उपलब्धता को अनिवार्य बनाया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

34. मेरी सरकार ने युवाओं के कैरियर के अवसरों को बढ़ाने के लिए पढ़ाई के साथ खेल और अन्य विधाओं पर भी ध्यान दिया है । छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण का गठन, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को मिलने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं, जिसका असर युवाओं के उत्साह और उनकी रचनात्मक सोच में वृद्धि के रूप में दिखाई पड़ रहा है । स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित युवा महोत्सव में प्रदेश के 7 हजार से अधिक युवाओं ने रायपुर आकर 37 विधाओं में 821 प्रस्तुतियां दीं, इस प्रकार युवाओं में उमंग, भाई-चारे और समन्वय को नई दिशा मिली । (मेजों की थपथपाहट)

35. मेरी सरकार ने समाज के कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक समस्याओं को हल करने का वायदा भी पूरी शिद्दत से निभाया है । छोटे भूखण्डों की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक हटाने, गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत की कमी, पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की कमी जैसे जमीनी फैसलों से लाखों लोगों को राहत मिली । लगभग 1 लाख छोटे भू-खण्डों का सौदा हुआ और इससे कई परिवारों में शादी, शिक्षा और कई जरूरतों के लिए पैसे का इंतजाम हुआ ।

36. नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्ग फीट तक की सरकारी जमीन के 30 वर्षीय पट्टे, फ्री-होल्ड अधिकार, भू-भाटक से छूट, नामांतरण-डायवर्सन में सरलता, भुइयां सॉफ्टवेयर से जन सुविधा जैसे अनेक फैसलों से जन-जीवन को इस बात का अहसास हुआ कि सरकार उनके साथ है । (मेजों की थपथपाहट)

37. मेरी सरकार ने आवासीय तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी सार्थक कदम उठाये हैं । कालोनी-टाऊनशिप के विकास हेतु अनापत्तियां- अनुमतियां "सिंगल विंडो" से देने की प्रणाली विकसित की गई है । ऑनलाईन भवन तथा विकास अनुज्ञा की व्यवस्था से पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी ।

38. नदियों की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों को समन्वय के साथ काम करने की प्रणाली विकसित की गई है तथा एक्शन प्लॉन बनाया गया है । बस्तर में "इन्द्रावती विकास प्राधिकरण" का गठन किया गया है ।

39. मेरी सरकार ने सबकी सेहत का ध्यान रखते हुये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं । "डॉ.खूबचन्द बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना" के तहत प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी 56 लाख परिवारों को 5 लाख रूपये तक एवं शेष राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी । "मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना" के अंतर्गत दुर्लभ व गंभीर बीमारियों के लिए 20 लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सहायता दी जायेगी ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Monday, February 24, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

40. मेरी सरकार ने शहरों और गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों की सेहत संबंधी विशेष जरूरतों को काफी बारीकी से समझा है । "मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना" आदिवासी अंचलों में ऐसे परिवारों के लिए जीवनदायिनी बन गई है, जो किसी भी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे । जनवरी 2020 तक 2 हजार 343 हाट बाजारों में 17 हजार 150 शिविर आयोजित किये गये, जिसका लाभ 10 लाख 3 हजार मरीजों को मिला । इसी प्रकार "मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना" के अंतर्गत 3 हजार 318 शिविर आयोजित किये गये, जिसका लाभ 1 लाख 45 हजार से अधिक मरीजों को मिला ।

41. राज्य में मलेरिया उन्मूलन हेतु पहली बार बस्तर संभाग के मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों से मलेरिया परजीवी को समूल नष्ट करने हेतु "मलेरिया मुक्त बस्तर" अभियान चलाया जा रहा है । 15 जनवरी से 14 फरवरी 2020 तक बस्तर संभाग अंतर्गत उन सभी क्षेत्रों में जिनका वार्षिक परजीवी सूचकांक 10 से अधिक है, वहां घर-घर सघन जांच तथा पूर्ण उपचार किया गया । इस अभियान में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं नारायणपुर जिले के सभी विकासखण्ड तथा बस्तर, कांकेर व कोण्डागांव जिले के 3 विकासखण्ड के 39 उप स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं ।

42. प्रदेश की नई पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने हेतु प्रदेश में "मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान" शुरू किया गया है । जिसके तहत् आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रोटीनयुक्त पोषण के लिए चना, फल, अण्डा, आदि सामग्री वैकल्पिक रूप से उपलब्ध कराने की नई शुरूआत की गई है । इस अभियान में डीएमएफ, सीएसआर से लेकर जनभागीदारी तक सब का सहयोग लिया जा रहा है ।

43. मेरी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों, आजीविका व स्वावलम्बन के विषयों पर गंभीरता से विचार किया है और अनेक कदम उठाये हैं । सहायक आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय 700 रूपये से 1500 रूपये तक बढ़ाया गया है । 10 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही शुरू की गई है । 2 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई है । मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् सहायता राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये की गई है ।

44. मेरी सरकार ने सब को पीने का साफ पानी देने के लिए मिनी माता अमृत धारा नल-जल योजना, गिरौधपुरी धाम समूल नल-जल योजना, राजीव गांधी सर्व-जल योजना, मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना, सुपेबेड़ा पेयजल योजना जैसी अनेक पहल की है ।

45. मेरी सरकार ने बिजली उत्पादन के साथ बिजली के उपभोग को विकास का पैमाना बनाने की रणनीति अपनाई है ताकि समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुगमता से हो। प्रतिमाह 400 यूनिट तक बिजली खपत पर बिजली बिल आधा करने का वायदा भी पूरा किया गया है। प्रदेश में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विद्युत अधोसंरचना के विस्तार तथा उपभोक्ता सेवा में सुधार का कार्य द्रुतगति से किया जा रहा है।(मेजों की थपथपाहट)

46. मेरी सरकार ने सड़क अधोसंरचना के विस्तार में भी तेजी लाई है। एक वर्ष में 28 वृहद पुल के काम पूरे किए गए, जबकि 119 का काम प्रगति पर है। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 10 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बनाई गई है, जिससे इसमें निवेशित राशि का लाभ अतिशीघ्र प्रदेश की जनता को मिले।

47. मेरी सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा की त्रिवेणी से कानून और व्यवस्था को संवारा है। राज्य की नक्सल पुनर्वास कार्ययोजना को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। प्रदेश में चिटफंड, साईबर अपराध, मानव तस्करी रोकने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अंजोर रथ, जनमित्र, ग्राम रक्षा समितियां, सीनियर सिटीजन सेल, महिला हेल्प डेस्क आदि ने सामुदायिक पुलिसिंग के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने की दिशा में साप्ताहिक अवकाश से लेकर रिस्पांस भत्ता देने तक अनेक कदमों ने भूमिका निभाई है। सचेत पुलिस बल और न्याय दिलाने की स्वस्फूर्त पहल के कारण नक्सली हिंसा और अपराधों में कमी आई है। इस स्थिति को बनाये रखना और बेहतर बनाना अपने आपमें एक चुनौती है।

48. मेरी सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत नशाबंदी के संबंध में अध्ययन हेतु राजनीतिक समिति, सामाजिक समिति, प्रशासनिक समिति गठित की है। वर्ष 2019-2020 में 50 मदिरा दुकानों को बंद किया गया है। वहीं 01 अप्रैल, 2020 से 49 बीयर बार बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। शराब व्यसन मुक्ति अभियान के तहत नशामुक्ति अभियान दल का गठन प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट)

49. मेरी सरकार के कामकाज के कारण छत्तीसगढ़ को देश के नये विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। अपने संसाधनों का सम्मान, राज्य में वैल्यू एडीशन, नई औद्योगिक नीति से लेकर सामाजिक सद्भाव तक की इसमें बड़ी भूमिका है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं।

माननीया राज्यपाल महोदया :-

50. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन ने अपनी सार्थकता साबित की है। विकास का नया-दौर, सबकी खुशहाली और सबकी भागीदारी का नया-दौर साबित हो, इसके लिए आप सबकी एकजुटता के साथ विकास की गति आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे ऐसा मेरा अटूट विश्वास है।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/पुनरीक्षण के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीया राज्यपाल महोदया, पूरे छत्तीसगढ़ का किसान धान बेचने को लेकर सड़कों पर धरने पर बैठा हुआ है और उसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

(माननीया राज्यपाल महोदया ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया)

समय :
11:48 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति पटल पर रखा जाना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सभा में जो अभिभाषण दिया गया है, प्रमुख सचिव, विधान सभा उसकी प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

समय :
11:49 बजे

<u>राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव</u>

<u>"माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।"</u>

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि - माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- महोदय, आपका बस इतना ही काम बाकी है, समझे नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिये मैं, दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 2020 की तिथि निर्धारित करता हूँ, जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हैं, वे आज सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 को सायं 5.00 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं।

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 25 फरवरी, 2020 को 11:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(11 बजकर 50 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 06, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 24 फरवरी, 2020

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं।